


II/विगम/सिंगरौली/208/0/605

312

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



- 1- दधिवल पिता श्री बाबूलाल जायसवाल
- 2- जनकलाल पिता श्री बाबूलाल जायसवाल
- 3- बाबूराम पिता श्री दधिवल जायसवाल
- 4- लालकुमार पिता श्री जनकलाल जायसवाल
- 5- सुग्रीव पिता श्री जनकलाल जायसवाल
- 6- रामजी पिता श्री जनकलाल जायसवाल

+10=

सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

अधिकांश शकेशकुमार  
विगम - शरा पेशा।  
8-3-18

निगरानीकर्तागण

बनाम्

लल्ली जायसवाल पिता श्री बाबूलाल जायसवाल पति रामाधार  
जायसवाल पेशा खेती निवासी ग्राम सरई तहसील सरई जिला  
सिंगरौली (म0प्र0)

गैरनिगरानीकर्ता

आवेदन पत्र किए जाने अन्तरण  
प्रकरण कमांक

86/अपील/2015-16

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी महोदय तहसील  
देवसर/सरई जिला सिंगरौली

शकेशकुमार  
7/3/18


312

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक II / निग0 / 1605 / 2018 / भू-रा0

जिला-सिंगरौली

दधिवल जायसवाल वगैरः/ लल्ली जायसवाल

(1)	(2)	(3)
18.12.18.	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राकेश कुमार निगम अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर/सरई, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 86/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p> सदस्य</p>

देवसर/सरई जिला सिंगरौली

  
7/13/18